रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 851] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1998/पौष 8, 1920
No. 851] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1998/PAUSA 8, 1920

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1124(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के, जो कि एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कर्नाटक राज्य में भद्रावती में है, मुख्य उद्देश्य की सुरक्षा के प्रयोजन के लिए और उपस्कर, कार्मिक तथा सामग्री के स्रोतों की सुरक्षा के प्रयोजन के लिए, नीति और दक्षतापूर्ण समन्वय तथा उसके आर्थिक विस्तारण और स्टील विनिर्माण के कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए तथा संयंत्र को सुचारू रूप से चलाने में सुधार करने की दृष्टि से, जिसमें चरणबद्ध रूप से पर्याप्त निवेश और बेहतर प्रबन्ध स्रोत जुटाने के लिए आवश्यक है, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है तथा उक्त मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का समामेलन एक अस्तित्व में लाने के प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए;

और मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का मैसर्स स्टील आथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 29 जुलाई, 1997 को हुए वार्षिक साधारण अधिवेशन में कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्पों द्वारा कर दिया है ;

और मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड ने मैसर्स स्टील ऑथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 25 सितम्बर, 1997 को हुए वार्षिक साधारण अधिवेशन में पूर्वोक्त कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्पों द्वारा कर दिया है ;

और आदेश के प्रारूप की एक प्रति तारीख 15-5-1998 के पत्र के साथ उक्त कम्पनियों के शेयर धारकों और लेनदारों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए चार समाचार पत्रों में जिनमें दो अंग्रेजी के और दो जनभाषा के समाचार पत्र हैं, प्रकाशन के लिए भेजी गई थी ;

और कम्पनियों के समामेलन की स्कीम आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों अर्थात् तारीख 3-6-1998 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" अंग्रेजी के समाचार पत्र में और स्टील ऑथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा तारीख 3-6-1998 के "हिन्दुस्तान" हिन्दी के समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी ;

और उपरोक्त कम्पनियों के समामेलन की स्कीम आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों अर्थात् तारीख 3 जून, 1998 के "हिन्दू" (बंगलौर) अंग्रेजी के समाचार पत्र में और विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा तारीख 3 जून, 1998 के "प्रजावाणी" (कन्नड़ में) समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी ;

और समामेलन की स्कीम की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस आदेश का संक्षिप्त नाम विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड और स्टील ओथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1998 है ।

2. परिभाषा —इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ;

(ख) "विघटित कम्पनी" से मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड अभिप्रेत है ;

(ग) "परिणामी कम्पनी" से स्टील ऑथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड अभिप्रेत है ;

3. **दोनों कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न :—**

(क) 31 मार्च, 1998 को दोनों कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न निम्नलिखित रूप में होगा :—

क्रम सं.	कंपनी का नाम	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की सं.	राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड	स्टील आथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली और उसके नाम निर्देशिती	24,95,00,000	249.50
2.	स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड	1. भारत के राष्ट्रपति	354,46,98,285	3544.69
		2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	29,92,47,300	299.25
		3. भारतीय जीवन बीमा निगम	5,01,35,500	50.14
		4. अन्य वित्तीय संस्थाएं (6)	1,66,87,300	16.69
		5. ग्लोबल डिपॉजीटरी रिसीट्स (जी डी आर एस)	12,02,54,100	120.25
		6. म्यूच्यूअल फण्ड्स/बैंक	1,69,35,500	16.94

1	2	3	4	5
		7. विदेशी संस्थागण निवेशकर्ता (42)	4,03,53,100	40.35
		8. कम्पनियां (629)	32,07,800	3.21
		9. व्यष्टिक (154056)	3,08,89,260	38.89
		योग	413,04,00,545	4130.48

(ख) मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड के 249,50,00,000 के 24,95,00,000 के साधारण शेयर जो कि अब मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और उसके नामनिर्देशितियों के नाम में धारित है, समामेलन के भाग रूप में रद्द हो जाएंगे।

4. कम्पनियों का समामेलन :—(1) नियत दिन से ही मैसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड का सम्पत्त कारबार और उपक्रम, जहां भी है जैसा भी है, जिसके अन्तर्गत सभी संपत्तियां चाहे जंगम हो या स्थावर और अन्य आस्तियां हैं चाहे ये जिस प्रकृति की हों, जिसके अन्तर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां, पट्टे, अभिप्राप्ति, अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विनिधान, व्यापार स्टाक, कर्मशाला औजार, अभिवहन में माल, सभी किस्म के धनों के अग्रिम, बही खाता ऋणों बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और परमिट, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशयपत्र और प्रत्येक वर्णन के सभी अधिकार और शक्तियां आती हैं, किन्तु विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड की उक्त सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और आण्डमान, प्रत्याभूतियां, और किसी भी प्रकार के सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए बिना किसी आगे की कार्रवाई और कृत्य के प्रवृत्त विधि के अनुसार स्टील ऑथेरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे या अन्तरित समझी जाएगी उसमें निहित समझे जाएंगे।

(2) लेखाकर्म के प्रयोजनों के लिए, समामेलन उक्त दोनों कम्पनियों के 31 मार्च, 1998 को संपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्रों के प्रति निर्देश से प्रभावी किया जाएगा और उसके पश्चात् के संव्यवहार एक शामिलाती खाते में पूल किए जाएंगे। विघटित कम्पनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उसके अन्तिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कम्पनी 31 मार्च, 1998 को तुलनपत्र के अपुसार सभी आस्थियां और दायित्व ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण—विघटित कम्पनी के अंडरटेकिंग के अन्तर्गत विकास रिबेट आरक्षिति, यदि कोई है, सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी सम्पत्ति चाहे जंगम हो या स्थावर आती है जिसके अन्तर्गत नकद अतिशेष आरक्षितियां, राजस्व अधिशेष, विनिधान, ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत सभी अन्य हित और अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के हों या उसके कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज और विघटित कम्पनी तब विद्यमान किसी भी किस्म के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी आते हैं।

5. **सम्पत्ति की कुछ मदों का अन्तरण :** इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कम्पनी के सभी लाभ या हानियां, या दोनों, यदि कोई है, और विघटित कम्पनी की राजस्व आरक्षितियां या कमियां या दोनों, यदि कोई है, जब परिणामी कम्पनी को अन्तरित होती हैं तो वे परिणामी कम्पनी के, यथास्थिति, क्रमशः लाभ या हानियों और राजस्व आरक्षितियों या कमियों का मानरूप होंगे।

6. **संविदाओं आदि की व्यावृत्ति :** इस स्कीम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखत जिसकी विघटित कम्पनी पक्षकार है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान है या प्रभाव रखते हैं, परिणामी कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतः बलशील और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा, मानो परिणामी कम्पनी उसकी एक पक्षकार रही हो।

7. **विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति :** यदि नियत दिन को, विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाही लम्बित हो, तो विघटित कम्पनी के उपक्रम के परिणामी कम्पनी को अन्तरण हो जाने या इस स्कीम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा या वह रोकी नहीं जाएगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, किन्तु वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही उसी रीति से और उसी सीमा तक परिणामी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, अभियोजन किया जा

सकेगा और प्रवृत्त की जा सकेगी जिस प्रकार यदि यह स्कीम न बनाई गई होती तो विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रहती, अभियोजन किया जाता और प्रवृत्त रहती।

8. कराधान की बाबत उपबंध : नियत दिन के पूर्व विघटित कम्पनी द्वारा किए गए कारोबार के निवेश मोक के लाभों और अभिलाभों (जिसके अन्तर्गत संचित हानियां और अनामेलित अवक्षयण भी हैं) की बाबत सभी कर, परिणामी कम्पनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे, जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात की जाएं।

9. विघटित कम्पनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबन्ध : विघटित कम्पनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी (जिसमें पूर्णकालिक निदेशक भी हैं) या अन्य कर्मचारी (विघटित कम्पनी के अन्य निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से ही परिणामी कम्पनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह विघटित कम्पनी में धारण करता यदि यह आदेश न किया गया होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि परिणामी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक्रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या पारस्परिक सहमति द्वारा उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में सम्यक्रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

10. निदेशकों की स्थिति— विघटित कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए है, नियत दिन को विघटित कम्पनी को निदेशक नहीं रह जाएगा।

11. भविष्य-निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य निधियां— आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबन्धों की अनुपालना के अधीन रहते हुए विघटित कम्पनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्यनिधि या अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि और किसी अन्य निधियों के न्यासी नियत दिन को न्यास की निधियों का अन्तरण परिणामी कम्पनी को करेंगे, जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन का एक या अधिक न्यासों में गठन करेंगे जिनके उद्देश्य, निबन्धन और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यास की हैं या उक्त विद्यमान निधियों का परिणामी कम्पनी के तत्स्थानी एक या अधिक न्यासें को अन्तरण किया जा सकेगा और विघटित कम्पनी तथा परिणामी कम्पनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

12. भविष्य निधि की सदस्यता— विघटित कम्पनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके कि वे सदस्य हैं और परिणमी कम्पनी, केन्द्रीय सरकार समामेलन के आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य-निधि में नियोजक का अभिदाय उसी दर से या विद्यमान विधि के अधीन पश्चात्वती रूप से लागू ऐसी अन्य दरों से करेंगी और करती रहेंगी, जिस दर से विघटित कम्पनी करती रही है।

13. मेसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का विघटन— इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से ही मेसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति विघटित कम्पनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध उसकी ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में न तो कोई दावा करेगा, न कोई मांग करेगा और न ही कोई कार्यवाही करेगा, सिवाय वहां तक जहां तक समामेलन की इस स्कीम के उपबन्धों को प्रवृत करने के लिए आवश्यक हो।

14. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण— केंद्रीय सरकार इस स्कीम के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र बंगलौर और दिल्ली तथा हरियाणा स्थित कंपनी रजिस्ट्रार को आदेश के रूप में इस स्कीम की एक प्रति भेजेगी जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार बंगलौर उसके पास रजिस्ट्रीकृत अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेजों का कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा को तत्काल अन्तरण करेगा। केंद्रीय सरकार के आदेश और उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा परिणामिक कंपनी द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। तत्पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा विघटित कंपनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज विघटित कंपनी से संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार बंगलौर के पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेजो को परिणामी कंपनी जिसके साथ उसका समामेलन किया गया है, की फाइल में रखेगा और इन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित सभी दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।

15. परिणामिक कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद — स्टील आथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जिस रूप में वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, नियत दिन से ही परिणामिक कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे।

[फा.सं. 24/7/97-सी.एल. 3]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 29th December, 1998

S.O. 1124(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that for the purpose of securing the principal object of M/s. Visvesvaraya Iron and Steel Limited a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Bhadrawati in the State of Karnataka and for the purpose of securing the use of resources of equipment, personnel and material, for ensuring coordination in policy and the efficient and economic expansion and working of manufacturing steel and in order to improve the performance of the plant which requires substantial investment in phases and better resource management it is essential that the Steel Authority of India Limited a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110 003 and the said M/s. Visvesvaraya Iron and Steel Limited which is also a Government company shall be amalgamated into a single company ;

AND WHEREAS M/s. Visvesvaraya Iron and Steel Ltd. approved its amalgamation with M/s. Steel Authority of India Ltd. by resolution passed by the shareholders of the company in the Annual General Meeting held on 29th July, 1997.

AND WHEREAS, M/s. Steel Authority of India Ltd. approved the amalgamation with it of M/s. Visvesvaraya Iron and Steel Ltd. by resolution passed by the shareholders of the former company in the Annual General Meeting held on 25th September, 1997.

3522 GI/98-2

AND WHEREAS, a copy of the draft of order was sent to aforesaid companies as per letter dated 15.05.1998 for its publication in four newspapers two in English and two in vernacular languages inviting objections and suggestions from the shareholders and creditors of the said companies ;

AND WHEREAS, the scheme of amalgamation of the aforesaid companies was published in two newspapers, that is, in the "Times of India" dated 03.06.1998 in English, and in vernacular language newspaper "Hindustan" dated 03.06.1998 in Hindi for inviting objections/ suggestions by Steel Authority of India Limited.

AND WHEREAS the Scheme of amalgamation of the aforesaid companies was published in two newspapers that is in the "Hindu" (Bangalore) dated 3rd June, 1998 in English and in vernacular language newspaper "Prajavani" dated 3rd June, 1998 in Kannada for inviting objections and suggestions by Visvesvaraya Iron and Steel Ltd.

AND WHEREAS no objections and suggestions were received on the Scheme of amalgamation.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following order to provide for the amalgamation of the said two Companies, namely :-

1. **Short Title** :- This order may be called. The Visvesvaraya Iron and Steel Limited and Steel Authority of India Limited (Amalgamation) Order, 1998.

2. Definitions :- In this Order unless the context otherwise requires ;

(a) "appointed day" means the date on which this order is notified in the Official Gazete.

(b) "dissolved company" means Visvesvaraya Iron and Steel Limited,

(c) "resulting company " means Steel Authority of India Limited.

3. Shareholding Pattern of the two Companies :-

a) The shareholding pattern of the two companies as on 31.03.1998 is as under :-

Sl. No.	Name of the Company	Names of share holders	Number of shares	Amount Rs. Crores
1	2	3	4	5
1.	Visvesvaraya Iron & Steel Ltd.,	Steel Authority of India Ltd, New Delhi and its Nominees	24,95,00,000	249.50
2.	Steel Authority of India Ltd.	1. President of India	354,46,90,285	3544.69
		2. Unit Trust of India	29,92,47,300	299.25

1	2	3	4	5
		3. Life Insurance Corp. of India.	5,01,35,900	50.14
		4. Other Financial Institutions (6)	1,66,87,300	16.69
		5. Global Depository Receipts (GDRs)	12,82,54,100	128.25
		6. Mutual Funds/Banks (42)	1,69,35,500	16.94
		7. Foreign Institutional Investors (42)	4,03,53,100	40.35
		8. Companies (629)	32,07,800	3.21
		9. Individuals (154056)	3,08,89,260	30.89
		Total	13,04,00,545	4130.40

(b) 24,95,00,000 equity shares of Rs. 249,50,00,000 of M/s. Visvesvaraya Iron and Steel Limited which are now held in the name of M/s. Steel Authority of India Limited and its nominees shall be cancelled as part of the amalgamation.

Amalgamation of the Companies :-

1) On and from the appointed date the entire business and undertaking of M/s. Visvesvaraya Iron and Steel Limited. in as is whereis condition including all the properties. movable and immovable and other assets and liabilities. present or future whether liquidated or not of whatsoever nature. i.e. machinery and all fixed assets. leases. tenancy rights. investment in shares or otherwise. stock-in-trade. workshop tools. goods in transit. advances of monies of all kinds, book debts. outstanding monies. recoverable claims. agreements. industrial and other licences and permits. imports and other licences. letters of intent and all rights and powers of every description. but subject to all mortgages and charges and hypothecation. guarantees and all rights whatsoever affecting the said properties of Visvesvaraya Iron and Steel Limited shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in Steel Authority of India Limited in accordance with the law in force.

(2) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on 31st March, 1998 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance-sheet of the dissolved company as on 31st March, 1998 and shall accept full responsibility for all transactions of the dissolved company thereafter.

Explanation :- The undertaking of the dissolved company shall include all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable including cash balances, reserves, revenue balances, investments and all other interests and right in or arising out of such property as may belong to or, be in the possession of the dissolved company immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligation of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. Transfer of certain items of property :- For the purpose of this scheme, all the profits or losses or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. Saving of Contracts, etc : Subject to the other provisions contained in this scheme, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company the resulting company had been a party thereto.

7. Saving of legal proceedings : If on the appointed day, any suit, prosecution appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this scheme but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this scheme had not been made.

8. Provision with respect to Taxation :- all taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) Investment Allowance of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. Provisions Respecting Existing officers and other Employees of the Dissolved company :- Every whole- time officer (including whole-time Directors) or other employees (excluding the other Directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day in the dissolved company, shall, as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be, of the resulting company and shall hold office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he/she would have held under the dissolved company, if this amalgamation had not been made, and shall continue to do so unless and until his/her employment in the resulting company, is duly terminated or until his/her remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. Position of Directors :- Every Director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a Director of the dissolved company on the appointed day.

11. Provident, Superannuation, Welfare and other Funds:- Subject to the compliance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Trustees of the Provident Fund or Superannuation Fund or Welfare Fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the Trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects, terms and conditions similar to those of the existing trust or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trusts of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. Membership of Provident Fund :- All officers and employees of the dissolved company shall continue to be the members of the Employees Provident Fund Trust under the Scheme of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) of which they are members and the resulting company shall with effect from the date of publication of the order of amalgamation by the Central Government in the Official Gazette make and continue to make the employers' contributions to the said employees Provident Fund in respect of these Officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company or such other rates as subsequently applicable under the existing laws.

13. Dissolution of the Visvesvarya Iron and Steel Limited :- Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the M/s. Visvesvarya Iron and Steel Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or an officer thereof in his capacity as such Director or Officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Scheme of amalgamation.

14. Registration of the Order by the Registrar of Companies :- The Central Government shall, as soon as may be, after this Scheme is notified in the Official Gazette, send to the Registrars of Companies, Bangalore and Delhi and Haryana , a copy of this Scheme in the form of an Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Bangalore shall transfer forthwith all documents registered, recorded or filed with him to the Registrar of Companies Delhi and Haryana. On receipt of the Order of Central Government and the above documents, Registrar of Companies, Delhi and Haryana shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof

3522-GI/98-4

within one month from the date of receipt of a copy of the Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Delhi and Haryana shall forthwith include all documents registered, recorded or filed with Registrar of Companies, Bangalore relating to the dissolved company on the file of resulting company with whom the transferor Company has been amalgamated and consolidate these and shall keep all such consolidated documents on his file.

15. Memorandum and Articles of Association of the Resulting Company :- The Memorandum and Articles of Association of Steel Authority of India Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company from the appointed day.

[F. No. 24/07/97/CL-III]
R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1998.